रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2014/ ज्येष्ठ 9, 1936
No. 291] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2014/JYAISTHA 9, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 24 फरवरी, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार की अन्य जगह स्थापित करना) (संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 372(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (**भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार की अन्य जगह स्थापित करना**) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 22/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (**भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार की अन्य जगह स्थापित करना**) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हुए हैं।

2. विनियमावली में परिवर्धन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा व्यवसाय के अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.22/2000-आरबी) में, इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित, के विनियम 7 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:

"संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय की परिसंपत्तियों का भारत में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और अन्य एंटिटि में अंतरण

8. **भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति जिसे विनियम 5 के अंतर्गत शाखा अथवा परियोजना अथवा संपर्क कार्यालय की स्थापना करने की अनुमति दी गई है, ऐसे शाखा अथवा परियोजना अथवा संपर्क कार्यालय के बंद होने के समय, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी से अपनी परिसंपत्तियों को** भारत में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और अन्य एंटिटी में अंतरित करने के लिए आवेदन करेगा"।

[सं. फेमा. 295/2014-आर बी]

सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:-मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग ।।, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में 8 मई 2000 के सं. सा.का.नि. 408 (ई) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 698(अ) दिनांक 01.09.2003
सा.का.नि. सं. 847(अ) दिनांक 29.10.2003
सा.का.नि. सं. 336(अ) दिनांक 27.05.2005
सा.का.नि. सं. 200(अ) दिनांक 09.03.2012
सा.का.नि. सं. 767(अ) दिनांक 06.12.2013

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION
Mumbai, the 24th February, 2014

Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or Other Place of Business) (Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 372(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following amendments

to the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or Other Place of Business) Regulations 2000, Notification No. FEMA 22/2000-RB dated 3rd May, 2000, namely:

1. Short Title and Commencement:-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) (Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall be deemed to have come into force from the date of their publication in the Official Gazette

2. Addition of the Regulation:-

In the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or Other Place of Business) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.22/2000-RB dated May 3, 2000), hereinafter referred to as the 'Principal Regulations', after Regulation 7, the following shall be added, namely :

"Transfer of assets of Liaison Office/Branch Office/Project Office to Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary and any other entity in India.

8. A person resident outside India permitted under Regulation 5 to establish a Branch or Project or Liaison Office may, at the time of closure of said Branch or Project or Liaison Office, as the case may be, apply to the authorized dealer concerned for transfer of its assets to JV/WOS or any other entity in India."

[No. FEMA. 295/2014-RB]

C.D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.408 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No.698(E) dated 01.09.2003

G.S.R.No.847(E) dated 29.10.2003

G.S.R.No.336(E) dated 27.05.2005

G.S.R.No.200(E) dated 09.03.2012

G.S.R.No.767(E) dated 06.12.2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054